न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 30/2011

आरसीएमएस नं. 2011/00339

1. सुलतान राम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ। (मृतक)

1/1 वेदप्रकाश
1/2 राजेन्द्र कुमार
} पुत्रगण स्व0 श्री सुलतानराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी 8 एफटीपी बशीर तहसील टिब्बी जिला हुनमानगढ। –मृतक

1/1 मु0 कृष्णा देवी स्व0 श्री छोटूराम जाति जाट निवासी चक 8 एफटीपी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

1/2 सुनील कुमार
1/3 अनिल कुमार
} पुत्रगण स्व श्री छोटूराम जाति जाट निवासीयान चक 8 एफटीपी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट
विरूद्ध निर्णय द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी,
दिनांक 14.02.2011, प्र. सं. 2/2011
अनवान सुलतान सिंह बनाम छोटूराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री छगनलाल सिडाना, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री मनोज बेनीवाल अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1/1 से 1/3

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5

निर्णय दिनांक 01.XI.22

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट की शर्त संख्या 8(2) के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि अपीलाण्ट की चक 8 एफ.टी.पी. ''बी'' में 19 बीघा कृषि भूमि खातेदारी एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 के नाम से इसी चक में 20 बीघा खातेदारी भूमि है। राजस्व विभाग द्वारा चक नं. 8 एफ.टी.पी.''बी' 8 पत्थर नं. 201/251 (30) किला नं. 1 ता 5 में प्रत्येक बीघा में .025 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किया हुआ है। अपीलार्थी ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु किला नं. 24 में किला नं. 25 के चिपते हुए एक गट्ठा रास्ता दिया हुआ है जिसमें रेस्पोडेण्ट अपनी भूमि में आवागमन करता है। मूल आवेदन पत्र के साथ धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया कि ताफैसला मूल आवेदन पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक नं. 8 एफ.टी.पी. ''बी'' प. नं. 201/251 (30) किला नं. 1 से 4 व प. नं. 200/251 (31) किला नं. 5 में अपीलार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.02.2011 को खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 8 एफटीपी ''बी'' के प. नं. 201/251 (30) किला नं. 1 ता 4 एवं प. नं. 200/251 (31) किला नं. 5 में रास्ता स्वीकृत करने का कोई आचित्य नहीं है। ना ही यह रास्ता कभी चालू किया गया है ना ही किसी काश्तकार को इस रास्ते की आवश्यकता है। इसलिए इस रास्ता को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प. नं. 201/250 व प. नं. 201/251 की लाईन पर रास्ता स्वीकृत है एवं इसी रास्ता से होकर रेस्पोडेण्ट प. नं. 201/251 (30) किला नं. 5 में से होकर प. नं. 201/250 (20) किला नं. 24 में से होकर आता जाता है। प. नं. 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एफटीपी ''बी'8 प. नं. 201/251 (30) किला नं. 1 से 4 व प. नं. 200/251 (31) किला नं. 5 में रास्ता के स्वीकृत रहने से अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। यह रास्ता आगे किसी ढाणी अथवा सड़क आदि को नहीं जोड़ता है। यदि बिना आवश्यकता के रास्ता को चालू कर दिया जाता है तो अपीालार्थी की भूमि बिना किसी कारण के रास्ता में चली आवेगी जिससे अपीलार्थी को अत्यधिक मानिसिक वेदना व अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि जब रास्ता वर्तमान में चालू है व राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अप्रार्थी व अन्य काश्तकार इसी रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते हैं को निरस्त किया जाकर अन्य रास्त स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है। जहां तक रास्ते में भूमि आने का प्रश्न है तो रास्ते की भूमि के बदले में भूमि दी गई है प्रार्थी चालू रासता को निरस्त करवाकर नया रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं। यदि स्वीकृतशुदा रास्ता को चालू नहीं करवा गया तो अप्रार्थी व अन्य काश्ताकर अपनी भूमि में आने जाने से वंचित हो जायेंगे जिससे वे अपनी खातेदारी भूमि का पूरा फायदा नही उठा पायेंगे। सक्षम अधिकारी के द्वरा साक्ष्य सबूत मौका निरीक्षण व प्रार्थी को समुचित अवसर देकर रास्ता स्वीकृत किया गया है। रास्ते को खुलवाया जाना अति आवश्यक है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2016 (1) पेज 93आरआरटी 2013 (1) पेज 299 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश जिसमें ताफैसला मूल प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि वे प्रश्नगत रास्ता को चालू करने एवं प्रार्थी की फसल को क्षतिकारित करने से निषेध रहें। इस धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा खारिज किया है। चूंकि उभयपक्ष के मध्य रास्ते के संबंध में विवाद है एवं जिसका निस्तारण मूल प्रार्थना–पत्र में होना है। उभयपक्ष के मध्य वाद की बहुल्यता ना हो एवं दोनों पक्षों के हक अधिकार सुरक्षित रहे ऐसी स्थिति

राजस्व अपील प्राधिकारी

में अपील स्वीकार कर धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर स्थगन आदेश जारी किया जाना उचित है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टीब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2011 निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक रेस्पोडेण्ट चक नं. 8 एफटीपी ''बी'' के प. नं. 201/251 (30) किला नं. 1 ता 4 एवं प. नं. 200/251 (31) किला नं. 5 में बंद रास्ता को चालू न करें एवं प्रार्थी की फसल को अधीनस्थ न्यायालय में मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक क्षतिकारित नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.XI.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

01/XI/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़